न्यायालय उप जिलाधिकारी, सकलडीहा

वाद संख्या-T202219630176168 2 अन्तर्गत धारा-80उ0प्र0रा0संहिता-2008
मौजा-कैथी पर0 महुआरी
तहसील-सकलडीहा जनपद-चन्दौली

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट वजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह..........बनाम..........सरकार

निर्णय

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट वजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया सिंह नि0ग्राम-कैथी पर0 महुआरी तहसील सकलडीहा जनपद चन्दौली द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 वर्तमान धारा 80 उ0प्र0रा0 संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आ0नं0 360 रकबा 0.480 हे0 , आ0नं0 365 रकबा 0.126 हे0, आ0नं0 394 रकबा 0.0810 हे0एवं आ0 नं0 818 क रकबा 0.1235 हे0, गाटा सं0 360/0.480 हे0, 365/0.126 हे0, 394/0.0810 हे0, 818क/0.1235 हे0 स्थित मौजा कैथी परगना-महुआरी तहसील-सकलडीहा जिला-चन्दौली प्रार्थी की भूमिधरी भूमि है अध्यासन में है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट का नाम बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर में अंकित चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति ट्रस्ट का सम्पत्ति है जिसमें विद्यालय भवन बना है तथा शेष भाग निर्माणाधीन है. उक्त आराजियात कृषि योग्य नहीं रह गयी है। अन्त में प्रार्थना किये हैं कि उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाय ताकि न्याय हो। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उद्धरण खतौनी खसरा तथा फोटो ग्राफ प्रस्तुत कराया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सकलडीहा से कराई गयी। तहसीलदार सकलडीहा द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से जांच कराकर अपनी आख्या दि0 07.12.2021 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी वाद दर्ज रजिस्टर हुआ क्षेत्रिय लेखपाल का बयान अंकित कराया गया जिसमें उक्त भूमि पर स्कूल बने होने तथा कृषि कार्य न होने की पुष्टि की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन/परिशीलन किया गया. पत्रावली में संलग्न उद्धरण खतौनी 1425-1430फ0 के खाता सं0 00010 गाटा सं0 360/0.480 हे0 खाता सं0 00476 गाटा सं0 365/0.126 हे0 खाता सं0 00010 गाटा सं0 394/0.0810 हे0 गाटा सं0 818कमि0/0.1235 हे0 स्थित मौजा कैथी पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है तथा उद्धरण खसरा सन् 1425-1430फ0 में भी उक्त आराजियात पर विद्यालय भवन अंकित है. तहसीलदार सकलडीहा की आख्या दिनांक 07.12.2021 में उल्लिखित किया गया कि उक्त आराजियात पर नव निर्मित स्कूल बना है तथा कुछ भूमि फील्ड के रूप में स्थित है उक्त आराजियात् में कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि मौके पर उक्त भूमि अकृषिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही है. जिसकी पुष्टि क्षेत्रिय लेखपाल द्वारा अपने बयान में की गयी है. ऐसी स्थिति में उक्त उक्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं कोती है।

आदेश

मौजा-कैथी परगना-महुआरी तहसील-सकलडीहा जनपद-चन्दौली के उद्धरण खतौनी 1425-1430 फ0 के खाता सं0 00010 गाटा सं0 360/0.480 हे0 खाता सं0 00476 गाटा सं0 365/0.126 हे0 खाता सं0 00010 गाटा संख्या 394/0.0810 हे0 खाता सं0 00011 गाटा सं0 818कमि0/0.1235 हे0 भूमि गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सकलडीहा को अनुपालन हेतु भेजी जाय तथा एक प्रति निःशुल्क निबंधन हेतु उप निबन्धक सकलडीहा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 10-12-2021

(अजय कुमार मिश्रा)
उपजिलाधिकारी
सकलडीहा
2021